कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 342/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 29.08.2026

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के ₹50,000/- के पुरस्कार घोषित गैंग लीडर प्रमोद कुमार को गैंगस्टर एक्ट में लखनऊ के परिवर्तन चौक से किया गया गिरफ्तार

गिरोह के 06 सदस्य पूर्व में हो चुके हैं गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिलें व पार्ट्स बरामद किये गये थे बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के अभिलेखों एवं डाक के अवलोकन से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित गैंगचार्ट प्राप्त हुआ, जिसमें शातिर अपराधियों का एक संगठित गिरोह सक्रिय होना पाया गया। उक्त गिरोह का गैंग लीडर प्रमोद कुमार पुत्र जयकरन उर्फ सहदेव निवासी पुसड़ा आईमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ है, जो अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर जनपद आजमगढ़ एवं आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी सहित विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था।

➡ दिनांक 10.12.2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रात्रि गश्त, क्षेत्र भ्रमण एवं अपराध की रोकथाम के दौरान बवाली मोड़ पर मौजूद रहते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के संबंध में जानकारी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि बागलखराव पुलिया के पास कुछ वाहन चोर चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में मौजूद हैं। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की गई। मुखबिर द्वारा पुलिया पर खड़ी तीन मोटरसाइकिलों के साथ मौजूद कुल 06 व्यक्तियों की ओर इशारा किया गया। पुलिस टीम द्वारा सभी को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान मोनू चौहान, बब्लू चौहान, प्रमोद कुमार, मुनचुन चौहान, कमलेश चौहान एवं अंकित यादव के रूप में हुई। मौके से तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। तलाशी के दौरान बब्लू चौहान एवं प्रमोद कुमार के कब्जे से एक-एक तमंचा .315 बोर एवं एक-एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

पूछताछ एवं बरामदगी का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर गिरोह द्वारा जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी किए जाने की जानकारी सामने आई। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि चोरी की मोटरसाइकिलों को अवधेश चौहान के करैली रोड, सठियांव बाजार स्थित गैरेज पर ले जाया जाता था, जहां उनके पार्ट्स अलग-अलग कर कुछ पार्ट्स कबाड़ी को बेच दिए जाते थे तथा कुछ अच्छे पार्ट्स को अन्य मोटरसाइकिलों में लगाकर खपा दिया जाता था। प्राप्त धनराशि को गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा अवधेश ऑटो गैरेज पर पहुंचकर तलाशी ली गई, जहां से 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें एवं मोटरसाइकिलों के विभिन्न पार्ट्स बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त कबाड़ी संजय गुप्ता की दुकान से 02 अदद चेचिस, 02 अदद इंजन, 01 अदद टंकी, आगे के 04 शॉकर, पीछे के 04 शॉकर, 02 चैन स्पाकिट तथा 04 पैर स्टैण्ड सहित अन्य सामान बरामद किया गया था । जांच के दौरान बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में थाना कोतवाली, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ तथा थाना मुखर्जी नगर नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली में अभियोग पंजीकृत होना पाया गया।

पूर्व में गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों का विवरणः-

इस संगठित मोटरसाइकिल चोर गिरोह के निम्न 06 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं–

1. मोनू चौहान पुत्र हीरालाल चौहान, मूल निवासी ग्राम मेहमौनी, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, हाल पता पुसड़ा आईमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. बब्लू चौहान पुत्र स्वामीनाथ चौहान, निवासी पुसड़ा आईमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।
3. प्रमोद कुमार पुत्र जयकरन उर्फ सहदेव, निवासी पुसड़ा आईमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
4. मुनचुन चौहान पुत्र दुर्गविजय चौहान, निवासी पुसड़ा आईमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।
5. कमलेश चौहान पुत्र रघुनाथ चौहान, निवासी ग्राम दिघवनिया काजी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।
6. अंकित यादव पुत्र स्व0 मुखराम यादव, निवासी भगवानपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाहीः-

उक्त गिरोह द्वारा आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठित रूप से आपराधिक कृत्य किए जाने तथा उनके कृत्यों से लोक व्यवस्था प्रभावित होने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गैंगचार्ट तैयार किया गया। गैंगचार्ट को धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु श्रीमान जिलाधिकारी

महोदय, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 28.02.2026 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के साथ संयुक्त बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 102/26 धारा 2(B)(1)/3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। जिसके ऊपर **दिनांक 11.08.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25,000 का इनाम व दिनांक 22.08.2026 को पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय द्वारा 50000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था।**

गिरफ्तारी का विवरणः-

गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं ₹50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र जयकरन उर्फ सहदेव को थाना कोतवाली आजमगढ़ एवं STF की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.08.2026 को समय 17:30 बजे जनपद लखनऊ के परिवर्तन चौक चौराहे के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

प्रमोद कुमार पुत्र जयकरन उर्फ सहदेव, निवासी पुसड़ा आईमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 36 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 102/26, धारा 2(B)(1)/3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

अभियुक्त प्रमोद कुमार का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 337/24, धारा 120बी/379/411/413/414/467/468/471 IPC, थाना कोतवाली, जनपद ।
2. मु0अ0सं0 443/24, धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/336(3)/338/340(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 462/24, धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/336(3)/338/340(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 528/24, धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/336(3)/338/340(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 555/24, धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/336(3)/338/340(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 592/23, धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 654/24, धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/336(3)/338/340(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 655/24, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।
9. मु0अ0सं0 481/24, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ ।
10. मु0अ0सं0 102/26, धारा 2(B)(1)/3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।
11. मु0अ0सं0 191/19, धारा 379/411 IPC, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।
12. मु0अ0सं0 431/09, धारा 272 IPC व 60 आबकारी अधिनियम, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

1. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय
2. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी
3. उ0नि0 अभिषेक मिश्रा
4. हे0का0 अभय कुमार सिंह

STF मुख्यालय

1. उ0नि0 देवेन्द्र पाल सिंह
2. मु0आ0 नीरज पाण्डेय
3. मु0अ0 नितिन सिंह

थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़

अन्तर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश, पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर महिला से टप्पेबाजी करने वाले 03 शातिर गिरफ्तार; ठगी की नकदी, पायल व पर्स बरामद

पूर्व की घटना/इतिहासः-

वादिनी थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19.08.2026 को थाना कोतवाली पर सूचना दी गई कि वह सोगरा सोनोग्राफी, बिलरिया की चुंगी में सोनोग्राफी कराने के बाद शाम करीब 04:45 बजे चाय पीने के लिए बिलरिया की चुंगी तिराहा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चौराहे से पहले दो अज्ञात व्यक्ति मिले और बातचीत करते हुए उससे पूछताछ करने लगे। बातचीत के दौरान दोनों व्यक्तियों ने पूजा-पाठ एवं पुत्र प्राप्ति आदि की बातों में उलझाकर वादिनी को विश्वास में लिया तथा बहला-फुसलाकर उसके दोनों कानों की बालियां (झाला), गले का लॉकेट तथा पर्स में रखे ₹5,000/- निकलवा लिये और मौके से चले गये। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर दिनांक 19.08.2026 को मु0अ0सं0 430/2026 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरण एवं गिरफ्तारीः-

घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पुलिस द्वारा टीम गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर तंत्र एवं सर्विलांस की सहायता से अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 28.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 03 नफर अभियुक्तों को रोडवेज बंधा के पास से समय 16:33 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना से संबंधित ₹3,000/- नगद, एक जोड़ा पायल सफेद धातु एवं एक अदद पर्स बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. असलम खाँ पुत्र मंजूर खाँ, निवासी हुसैन टेकरी, जावरा रोजाना रोड, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश, उम्र करीब 50 वर्ष।
2. अरशद वारसी पुत्र असलम हुसैन उर्फ असलम खाँ, निवासी हुसैन टेकरी, जावरा रोजाना रोड, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश, उम्र करीब 27 वर्ष।
3. इरफान अली पुत्र अकरम अली, निवासी हुसैन टेकरी, जावरा रोजाना रोड, जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश, उम्र करीब 39 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त असलम खाँ द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.08.2026 को उन लोगों द्वारा बिलरिया की चुंगी, जनपद आजमगढ़ में एक महिला को विश्वास में लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु झांसा देकर ठगी की गयी थी। अभियुक्त के कथन के अनुसार महिला के कान का सोने का झाला एवं गले का मंगलसूत्र चांदनी बाजार, दुल्हीपुर, जनपद चन्दौली स्थित हर्ष ज्वैलर्स की दुकान पर ₹58,000/- में बेचा गया था, जिसे उसके सामने गला दिया गया था। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि महिला के पर्स में रखे रुपये निकाल लिये गये तथा पर्स में रखी चांदी की पायल को पर्स सहित झाड़ियों में छिपा दिया गया था। जनपद चन्दौली पुलिस से समन्वय स्थापित कर चोरी का सामान खरीदने वाले सोनार सुरेश सेठ पुत्र राधेश्याम सेठ निवासी- ग्राम मडया नई बस्ती पडाव, थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र- 50 वर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

बरामदगी का विवरणः-

1. ₹3,000/- नगद।
2. एक जोड़ा पायल सफेद धातु।
3. एक अदद पर्स।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 430/2026, धारा 318(4) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

01. उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, थाना कोतवाली,जनपद आजमगढ़ ।
02. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, थाना कोतवाली,जनपद आजमगढ़ ।
03. उ0नि0 मिथिलेश प्रजापति, थाना कोतवाली,जनपद आजमगढ़ ।
04. उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा, थाना कोतवाली,जनपद आजमगढ़ ।
05. का0 अभिषेक कुमार सरोज, थाना कोतवाली,जनपद आजमगढ़ ।
06. का0 गिरजा शंकर, थाना कोतवाली,जनपद आजमगढ़ ।
07. का0 राहुल पाण्डेय, थाना कोतवाली,जनपद आजमगढ़ ।
08. का0 जितेन्द्र कुमार यादव, थाना कोतवाली,जनपद आजमगढ़ ।
09. का0 अवधेश सिंह, का0 हिमांशु मिश्रा, का0 जितेन्द्र यादव थाना कोतवाली,जनपद आजमगढ़ ।
10. का0 बसंत सर्विलांस सेल, जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.07.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि वादीकी पुत्री के स्कूल गयी थी वापस नही आयी खोजबीन करने पर नही मिल रही है। जिसके आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-178/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

विवेचना के दौरान अभियुक्त फकरे आलम पुत्र मुस्लिम निवासी कौड़िया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 28.08.2026 को उ0नि0 योगेश कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त फकरे आलम पुत्र मुस्लिम निवासी कौड़िया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को बाबा बेचन मोड़ के पास से समय करीब 13:10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- फकरे आलम पुत्र मुस्लिम, निवासी कौड़िया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-178/2026 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 योगेश कुमार सरोज, का0 अभिनन्दन कुमार, का0 श्री कुमार, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।

उत्तर प्रदेश पुलिस